36/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर
A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 36/2015 गुरपालसिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र झमनसिंह जाति जटसिख निवासी 49 आरबी तहसील पदमपुर बनाम 1–गुरचरणसिंह पुत्र झमनसिंह जाति जटसिख नि0 49 आरबी तहसील पदमपुर 2–रणजीत सिंह 3–परमजीतकौर 4–बलजिन्द्र कौर 5–जसवीरकौर 6–जसपालसिंह 7–स्टेट जरिये तहसीलदार पदमपुर 8–उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.04.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 रणजीत सिंह जरिये मु0आम गुरप्रीतसिंह के अभिभाषक श्री दलबारसिंह बराड उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लंबित वाद संख्या 34/2015 अनवानी गुरपाल सिंह बनाम गुरचरणसिंह व मु0माल प्रकरण सं0 34/2015 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लंबित वाद संख्या 34/2015 अनवानी गुरपाल सिंह बनाम गुरचरणसिंह व मु0माल प्रकरण सं0 34/2015 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को मय उनके पत्र सं0 राजस्व/15/3006 दिनांक 11.06.2015 से प्राप्त 1– मिसल सं0 34/15 गुरपालसिंह बनाम गुरचरणसिंह धारा 88,188 आरटीए 2–मिसल सं0 25/15 गुरपालसिंह बनाम गुरचरणसिंह आदि धारा 212 आरटीए सहित पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

715
11-4-16

आदेश आज दिनांक 06.04.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर